



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 अक्टूबर, 1977
आश्विन 14, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2912 / सत्रह-वि०-1-77-77

लखनऊ, 7 अक्टूबर, 1977

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद्, (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पर दिनांक 7 अक्टूबर, 1977 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1977)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य की जिला परिषदों के प्रशासन के लिए कतिपय अस्थायी प्रबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठ्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 संक्षिप्त नाम कहा जायगा।

जिला परिषदों के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपवन्ध

2—(1) दिनांक 10 अगस्त, 1977 से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपवन्ध, एक वर्ष की अवधि अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिए प्रत्येक जिला परिषद् के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपवन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्:—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे;

(ख) जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायगा और जिला मजिस्ट्रेट, [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट खण्ड (ग) के अधीन अपने अधिकार प्रतिनिहित करें] जैसा भी अक्सर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में जिला परिषद्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या समिति समझा जायगा;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट पिछले अन्तिम खण्ड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है;

(घ) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, किसी कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश दे सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती तथा सम्बन्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम दोस दिन की अवधि के लिए जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखी जायगी, और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो जायें, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्घीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विधिमान्यता

3—जहां जिला परिषद् के अध्यक्ष के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट में निहित रहे हों और वह जिला परिषद् के पुनः संघटन के पश्चात् ऐसे अधिकारों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन तथा पालन पूर्ववत् करता रहा हो, वहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नये अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अध्यक्ष के अधिकारों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन या पालन करने में कृत किसी कार्य को जिला परिषद् के अध्यक्ष के रूप में विधिमान्यता किया गया समझा जायगा मानों राज्य सरकार ने उसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के अध्याय 2 के उपवन्धों के अधीन अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया हो।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश जिल परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभत समयों पर प्रवृत्त था।

No. 2912 (2)/XVII-V—1-77-1977

Dated Lucknow, October 7, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15, 1977) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 7, 1977.